पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डा० रण विजय कुमार, स०वि०स० श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी, स०वि०स० श्री दिनकर राम, स०वि०स० श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स०	"औरंगाबाद जिलान्तर्गत शिवगंज से गोह उपहारा होते हुए औरंगाबाद (अरवल) तक स्टेट हाइवे का निर्माण कराया जा रहा है । रोड के जमीन को छोड़कर गोह प्रखंड के जैतिया ग्राम के सोना खां एवं जियाउतलाह खां के रैयती जमीन में जबरन पुल का निर्माण हो रहा है । सोना खां वगैरह ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के यहां आवेदन देकर रोड के जमीन की नापी भी करवाये । रोड का जमीन 120 फीट निकाला गया परन्तु रोड का जमीन छोड़कर रैयती जमीन में कंस्ट्रक्शन हो रहा है । कारण पुल तोड़कर डायवर्सन बनाना पड़ता है । रोड की गुणवत्ता भी बिल्कुल ही घटिया किस्म का है । इस कार्य का समय सीमा भी बहुत पहले समाप्त हो गया है परन्तु 50 प्रतिशत कार्य भी अभी पूरा नहीं हो पाया है । अत: सड़क के जमीन में पुल का निर्माण कराने के साथ उसकी गुणवत्ता की जांच कराने तथा समय सीमा के अन्दर कार्य समाप्त कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

1	2	3	4
2.	श्री अख्तरूल इसलाम शाहिन, स०वि०स० डॉ० फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री जावेद इकबाल अंसारी, स०वि०स० श्री वृज किशोर सिंह, स०वि०स०	"समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित आर.एस.वी. इन्टर विद्यालय प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 22 जुलाई, 2006 ई० को अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास भवन निर्माण हेतु आधारशिला रखा गया । परन्तु तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर एवं उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के असहयोगात्मक रवैया के कारण आज तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका । ज्ञात हो कि उप-सचिव, मानव (मा०शि०) संसाधन विकास विभाग, पटना ने ज्ञापांक-34, दिनांक-13 जनवरी, 2010 को अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास भवन निर्माण हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करते हुए संबंधित भूखण्ड (केवल दस कट्ठा) के हस्तानान्तरण हेतु प्रस्ताव भी उचित माध्यम से भेजने का अनुरोध किया । उपरोक्त विभागीय पत्र के आलोक में जिलाधिकारी (जिला कल्याण प्रशाखा, समस्तीपुर) ने पत्रांक-367/क० दिनांक-20 फरवरी, 2010 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, समस्तीपुर को प्रस्तावित भूखण्ड पर अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास भवन निर्माण का आदेश दिया । बावजूद निर्माण शुरू नहीं किया जा सका । जबकि विद्यालय परिसर में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी पांच (05) एकड़ से अधिक भूमि तीन टुकड़ों में उपलब्ध है । अत: निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का भवन निर्माण कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	भवन निर्माण / शिक्षा

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/13- 323 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/13- 323 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

20/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

20/3/13